प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0आई0यू0–2,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट,।

ई–मेलः– eepmgsykapkot@rediffmail.com

पत्रांकः– 605 /ग्रा0नि0वि0/पी0एम0जी0एस0वाई0/वनभूमि/2024–25, दिनांक :– 19/09/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत खड़लेख–भनार मोटर मार्ग के किमी0 01 से नैकाना बसोरा मोटर मार्ग (लम्बाई–7.00 किमी0) निर्माण हेतु 3.15 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन। (प्रस्ताव संख्या EP/ UK/ ROAD/29205/2017)

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्रांक संख्या 08 बी0/यू0सी0पी0/06/23/2020/एफ0सी0/1314, दिनांक 22.09.2020

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खड़लेख–भनार मोटर मार्ग के किमी0 01 से नैकाना बसोरा मोटर मार्ग (लम्बाई–7.00 किमी0) निर्माण हेतु 3.15 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ऑख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.30 है0 अवनत वन भूमि लीती कक्ष न0 10 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.30 है0 अवनत वन भूमि लीती कक्ष न0 10 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन नहीं की जायेगी।
	(ख) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है (प्रमाण पत्र संलग्न)।
	(ग) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न
4	शुद्ध वर्तमान मूल्यः	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556, दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मा0 मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/ 2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.15 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के जिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556, दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003,28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मा0 मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.15 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के जिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

DK

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 98 पेड़ से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के स्वच्छ पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 98 हैं एवं पेड़ राज्य वन विभाग के स्वच्छ पर्यवेक्षण में काटें गये है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा कर दी गयी है। पत्र संलग्न है।
6	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before Stage II approval as per guidelins para 11.2 The State Govt. will Strictly monitor and ensure that no further avtivity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान प्रस्ताव के अनुसार 98 पेड़ों के अतिरिक्त अन्य पेड़ों का कोई पातन नहीं किया गया है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल पर (https://parivesh-nic-in.) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किये जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल पर (https://parivesh-nic-in.) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। पत्र संलग्न
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला क्लैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला क्लैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। पत्र संलग्न
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर गति विनियमन साईनेज लगा दिये गये है।
10	पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। स्वीकृति पत्र संलग्न।
11	केन्द्र की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य स्त्रोंत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य स्त्रोंत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया गया है।
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन कर दिया गया है।
15	परियोजना कार्य के निस्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निस्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।
16	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित कर दिया गया है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजन हेतु नहीं किया गया है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की गयी है।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाहीं होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाहीं हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंने पर प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।

21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तयसीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलुवें निस्तारण क्षेत्र का स्थिर एवं पुर्नजिवित करने का कार्य किया जायेगा। मलुवें को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर ही मलुवे का निस्तारण किया गया है एवं अनावश्यक रूप से तयसीमा के अन्दर रखा गया है। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलुवें निस्तारण क्षेत्र का स्थिर एवं पुर्नजिवित करने का कार्य कर लिया जायेगा। मलुवें को यथा स्थान रखने हेतु दीवारों का निर्माण करा दिया गया है। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की गयी है।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पंर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता एजेंसी ले ली जायेगी।
23	अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in.) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in.) पर अपलोड कर दी गयी है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 04–04 प्रति में।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।